रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96 REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 243] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 1996/चैत्र 22, 1918
No. 243] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 1996/CHAITRA 22, 1918

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

हैदराबाद, 22 दिसम्बर, 1995

सं. 5/95-सीमा शुल्क (एन. टी.) (एच. जैड.)

का. आ. 300 (अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 1-7-94 की अधिसूचना सं. 33/94-(एन. टी.) (सीमा शुल्क), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. मैंगी, मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, हैदराबाद अंचल, आन्ध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के जग्गयापेट तालुक के "जयंतीपुरम" ग्राम को भण्डागार स्टेशन घोषित करता हूँ।

[फा. सी. सं. VIII/40/30/95-मुख्य आयुक्त(है. अं.)]
जी. एस. मैंगी, मुख्य आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

NOTIFICATION

Hyderabad, the 22nd December, 1995

No. 5/95-Customs (NT) (HZ)

S.O. 300(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 33/94(NT) (Customs) dated 1-7-1994 of the

Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, I, G. S. Maingi, Chief Commissioner. Customs & Central Excise, Hyderabad Zone, hereby declare, Jayanthipuram Village, Jaggayapet Taluk, Krishna District in the State of Andhra Pradesh to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962.

[File C. No. VIII/40/30/95-CC(HZ)]

G. S. MAINGI, Chief Commissioner

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi 110054 . 1996